

उत्तर प्रदेश शासन  
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग2  
संख्या-9/2020/428/अस्सी-2020-100 (17)/2020  
लखनऊ दिनांक 18 नवम्बर 2020

**अधिसूचना**

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 के नियम 58-क के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 7-क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल घोषणा करती हैं कि ग्राम सराय जगत, तहसील और जिला फतेहपुर में अवस्थित बहिरामपुर प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड द्वारा पट्टाकृत नीचे ब्यौरेवार उल्लिखित क्षेत्र, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से विनिर्दिष्ट फल व सब्जी के थोक सौदों हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2030 तक के लिये इस शर्त के साथ मण्डी उप स्थल होगा कि कृषक/विक्रेता से कोई मंडी शुल्क प्रभारित नहीं किया जायेगा :-

**मण्डी उप-स्थल का खसरा एवं चौहद्दी**

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, ग्राम सराय जगत, तहसील व जिला फतेहपुर स्थित गाटा संख्या-143 और गाटा संख्या 153, क्षेत्रफल 6945 वर्ग मी0 और गाटा संख्या-151 क्षेत्रफल 3240 वर्ग मी0 गाटा का कुल क्षेत्रफल 10185 वर्ग मीटर है  
पूरब- सड़क रमवा रोड 36 फिट  
पश्चिम- गाटा सं0- 142 श्री शशि प्रताप के खेत  
उत्तर- गाटा सं0- 147, 150 श्री राजेन्द्र भान सिंह के खेत  
दक्षिण- गाटा सं0- 152, 134 श्री उदय भान सिंह के खेत

डा0 देवेश चतुर्वेदी  
अपर मुख्य सचिव

पृष्ठांकन संख्या: 9/2020/428/अस्सी-2020-100(17)/2020, तददिनांक :

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उपरोक्त अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया दिनांक 18 नवम्बर, 2020 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 के खण्ड 'ख' में प्रकाशनार्थ । कृपया उक्त गजट की 50 प्रतियां शासन को भेजने का कष्ट करें।
2. निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उ0प्र0।
3. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, फतेहपुर/ बहिरामपुर प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड 662,मसवानी, फतेहपुर
5. सभापति/सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, फतेहपुर ।

आज्ञा से,

समर बहादुर  
अनु सचिव

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

**Uttar Pradesh Shasan**  
**Krishi Vipran Avam Krishi Videsh Vyapar Anubhag-2**

In Pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 9/2020/428/Eighty-2-2020-100(17)/2020 Dated 18 November, 2020 .

**NOTIFICATION**

No.- 9 /2020/428/Eighty-2-2020-100(17)/2020

Lucknow, Dated 18 November, 2020

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 7-A of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P. Act No. XXV of 1964) read with rule 58-A of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali, 1965 the Governor is pleased to declare that the area detailed below leased by Bahirampur Producer Company Limited located in village Sarai Jagat, Tehsil and District Fatehpur shall be Market Sub- Yard for specified wholesale transaction of fruits and vegetables with effect from the date of publication of this notification in the Gazette till February 10, 2030 with the condition no mandi fee shall be charged from agriculturist-seller :-

**Khasra and Boundaries of the Market Sub-Yard**

Gata No. 143 and Gata No.153, Area 6945 square meter and Gata No. 151 area 3240 Total area 10185 Square Meter located within the market area of Krishi Utpadan Mandi Samiti, Village Sarai Jagat, Tehsil and District Fatehpur.
---

East : Ramwa Road 36 feet.
----------------------------

West : Field of Shashi Pratap, Gata No. 142.
--

North : Field of Rajendra Bhan Singh, Gata No. 147, 150
---

South : Field of Uday Bhan Singh, Gata no. 152,134
--

**By Order**

**Dr.Devesh Chaturvedi**  
**Additional chief Secretary**

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।